

नेपाल में भारत की मदद से तैयार की गई जल निकासी व्यवस्था का उद्घाटन

काठमांडो, 13 मार्च (भाषा)।

नेपाल के सरलाही जिले में भारत की मदद से बनाई गई जल निकासी व्यवस्था का शनिवार को उद्घाटन किया गया। बीरगंज में भारत के महावाणिज्य दूत नितेश कुमार और मलंगवा नगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होमानाथ सुबेदी ने मलंगवा नगरपालिका के वार्ड नंबर तीन और चार में बनाई गई जल निकासी व्यवस्था का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। काठमांडो में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने इस परियोजना के लिए चार करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपए की सहायता प्रदान की है। इस परियोजना से मलंगवा नगरपालिका में लगभग 500 परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अफगानिस्तान में बम धमाके में आठ लोगों की मौत, 47 घायल

काबुल, 13 मार्च (एपी)।

अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में एक कार बम धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 47 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खतरनाक वृद्धि की निंदा की। प्रांत के अस्पताल के प्रवक्ता रफीक शेरजाई ने शनिवार को बताया कि घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर है जिससे मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। इस विस्फोट में 14 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियान ने बताया कि मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, वहीं हमले में

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियान ने बताया कि मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, वहीं हमले में अफगान सुरक्षा बल के 11 कर्मी भी घायल हुए हैं। इस धमाके की अबतक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

अफगान सुरक्षा बल के 11 कर्मी भी घायल हुए हैं। इस धमाके की अबतक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। धमाके के कुछ घंटे के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूपीएससी) ने न्यूयॉर्क में एक संवाददाता सम्मेलन धमाके की निंदा की और कहा कि अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में दोबारा

ई-कॉमर्स नीति का मसौदा

डाटा का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी सरकार

नई दिल्ली, 13 मार्च (भाषा)।

सरकार किसी उद्योग के विकास के लिए डाटा (संग्रहीत आंकड़ों) के इस्तेमाल के सिद्धांत तय करेगी। साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डाटा के दुरुपयोग और पहुंच को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय (सेफगार्ड) किए जाएंगे। राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है।

नीति में कहा गया है कि सरकार निजी और गैर-निजी डाटा पर नियमन तैयार करने की प्रक्रिया में है। अभी यह नीति विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है। मसौदे में कहा गया है कि औद्योगिक विकास के लिए डाटा साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। साझा करने की व्यवस्था के लिए डाटा के नियमन तय किए जाएंगे।

इसमें कहा गया है कि सरकार किसी उद्योग के विकास मसलन ई-कॉमर्स, उपभोक्ता संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और

मसौदे में कहा गया है कि औद्योगिक विकास के लिए डाटा साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। साझा करने की व्यवस्था के लिए डाटा के नियमन तय किए जाएंगे।

कानून के प्रवर्तन के लिए डाटा के इस्तेमाल के सिद्धांत तय करेगी। इनमें कराधान भी शामिल हैं जहां ये सिद्धांत पहले मौजूद नहीं हैं। साथ ही डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएंगे। मसौदे में कहा गया है कि सरकार मानती है कि डाटा एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। भारत के आंकड़ों का इस्तेमाल पहले भारतीय इकाइयों करेगी।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआईटी) के शीर्ष अधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक में मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कहा गया है कि ई-कॉमर्स परिचालकों को यह सुनिचित करना होगा कि

उनके द्वारा इस्तेमाल ‘एल्गोरिदम’ पक्षपातपूर्ण नहीं हो।

इसमें कहा गया कि उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए पेश वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी सभी जानकारीयों मिलनी चाहिए। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि संबंधित उत्पाद का मूल देश कौन सा है और भारत में इसमें क्या मूल्यवर्धन किया गया है।

साथ ही मसौदे में कहा गया है कि उचित प्रतिस्पर्धा के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां अपने मंच पर पंजीकृत सभी विक्रेताओं/वेंडरों के साथ समानता वाला बर्ताव करें। इसके साथ ही मसौदे में कहा गया है कि इससे अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मंच पर बिकने वाले उत्पाद जाली नहीं हों। साथ ही इसके लिए उन्हें रक्षोपाय करने होंगे। यदि ई-कॉमर्स कंपनी की मंच से जाली उत्पाद बेचा जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी ऑनलाइन कंपनी और विक्रेता की होगी।

घरेलू मार्गों पर 28 मार्च से 66 नई उड़ानें शुरू करेगी स्पाइसजेट

मुंबई, 13 मार्च (भाषा)।

किफायती सेवाएं देने वाली विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने घरेलू नेटवर्क पर 28 मार्च से 66 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। इनमें कुछ मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें भी शामिल हैं।

एयरलाइन ने शनिवार को कहा कि इन नई उड़ानों का परिचालन बोइंग 737 और क्षेत्रीय जेट बोम्बार्डियर व्हा400 के जरिए किया जाएगा। कंपनी का इरादा अपने नेटवर्क के विस्तार के जरिए महानगरों और छोटे शहरों के बीच संपर्क बढ़ाना है।

स्पाइसजेट की मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) शिल्पा भाटिया ने कहा कि देश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय विमान कंपनी के रूप में हम क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं। एयरलाइन ने बताया कि छोटे शहरों की यात्रा मांग को पूरा करने के लिए उसने दरभंगा, दुर्गापुर, झारसुगुड़ा, ग्वालियर और नासिक को कुछ महत्वपूर्ण महानगरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानें शुरू की हैं। शुरुआत में इन शहरों को स्पाइसजेट ने उड़ान योजना से जोड़ा था।

स्पाइसजेट ने कहा कि वह अहमदाबाद-दरभंगा-अहमदाबाद, हैदराबाद-दरभंगा-हैदराबाद, पुणे-दरभंगा-पुणे और कोलकाता-दरभंगा-कोलकाता मार्ग पर नई उड़ानें शुरू करेगी। इससे पहले एयरलाइन ने दरभंगा को मुंबई, दिल्ली और बंगलुरु से जोड़ा था। इसी तरह दुर्गापुर को पुणे से जोड़ा जाएगा। दुर्गापुर को स्पाइसजेट पहले ही चेन्नई, मुंबई और दिल्ली से जोड़ चुकी है। झारसुगुड़ा को अब भी दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता के बाद चेन्नई से जोड़ा जाएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखने लगा है ‘वी-आकार’ का सुधार : ठाकुर

मुंबई, 13 मार्च (भाषा)।

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब ‘वी-आकार’ का सुधार दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। वी-आकार के सुधार से तात्पर्य तेज गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था के तेजी से पुनरुद्धार है।

ठाकुर ने भारतीय बीमांक संस्थान द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में पहले ही वी-आकार का सुधार दिखने लगा है। विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है। फरवरी में देश में 25,787 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। लगातार दो तिमाहियों में भारी गिरावट के बाद अबतुबर-दिसंबर की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 0.4 फीसद की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। साथ ही ठाकुर ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। जनवरी, 2021 में यह 590 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। उन्होंने बताया कि पिछले आठ माह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 100 अरब डॉलर बढ़ा है। वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि यह भरोसे का संकेत है। वैश्विक कोष और निवेशक भारत को निवेश गंतव्य के रूप में देखते हैं। वे भारत की वृद्धि की कहानी को लेकर सकारात्मक हैं।

एप्रैल 2019 में ईस्टर के मौके पर गिरिजाधरों व होटलों पर हुए हमले की जांच रहे जांच बल द्वारा देश में वाहवी विचारधारा पर रोक लगाने की मांग के बीच हुई है। उल्लेखनीय है कि 21 अप्रैल 2019 को स्थानीय चरमपंथी समूह नेशनल तौहीद जमात (एनआईटीजे) के कथित नौ आत्मघाती हमलावरों ने श्रीलंका के तीन गिरिजाधरों एवं कई होटलों को निशाना बनाया था जिसमें 11 भारतीयों सहित 270 लोगों की मौत हुई थी जबकि करीब अन्य 500 लोग घायल हुए थे। इस हफ्ते के शुरुआत में जनसुरक्षा मंत्री सारथ वीरसेकरा ने संसद को बताया था कि वर्ष 2019 के हमले के सिलसिले में अबतक करीब 676 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 66 से अधिक लोग हिरासत में हैं।

एलएंडटी की कौशल प्रशिक्षक अकादमी एकेडमी (एसटीए) के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों के लिए एक समग्र वातावरण तैयार करना और उन्हें उद्योग के मूल्यांकन विकास के दौरान विकसित होने तथा सीखने के लिए एक स्थान प्रदान करना है। एलएंडटी युवाओं को देशभर में अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर अपनी विशाल परियोजनाओं के विवरण के लिए तैयार कर रही है।

‘ 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं होगा’

नई दिल्ली, 13 मार्च (भाषा)।

सरकारी विभाग एक अप्रैल, 2022 से अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है। साथ ही यदि इसे अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने इस बारे में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी कर अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों...केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट किया कि एक अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। यह नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा। इससे पहले एक फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की है। इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और वाणिज्यिक वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस परीक्षण करना जरूरी है।

प्रप्र-जी सार्वजनिक उद्योगों का विचार प्रस्ताव

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत]

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | कार्पोरेट देनदार का नाम | एल्यूम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | कार्पोरेट देनदार के नियमन की तिथि | 03.05.1994 |
| 3. | यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट देनदारक नियमित/पंजीकृत है | कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली |
| 4. | कार्पोरेट पहचान संख्या/कार्पोरेट देनदारक लिमिटेड पहचान संख्या | U74899DD11994PTC058760 |
| 5. | कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता | ख.नं. 300, गीपि मा मिल्डिये, गुलामपुर ग्राम, नई दिल्ली सिविल दिल्ली-110030, भारत |
| 6. | कार्पोरेट देनदारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि | 11.03.2021 (आदेशापी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि 07.09.2021) |
| 7. | दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समाप्त की अनुमानित तिथि | 12.03.2021 |
| 8. | अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल के रूप में कार्यरत है | परदीप बसेल एनी. सं.- IBBI/PA-001/IP-P00175/2017-2018/10344 |
| 9. | बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल का पता एवं ईमेल: | बे-347, ब्लॉक जे, सैफता विक्टर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110076 ईमेल: pkhansala0@gmail.com |
| 10. | अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल के साथ पंचावर कि लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल | ई-44/3, पब्लिक डी, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 ई-मेल: abloom.infotech@pbinsolvency.com |
| 11. | दावे जमा करने की अंतिम तिथि | 26.03.2021 |
| 12. | क्रेडिटर का सर्वे यदि कोई हो, धारा 21 की प्रवृ धारा (एए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल द्वारा सुनिश्चित किया गया | लागू नहीं |
| 13. | किसी सर्वे में क्रेडिटर के प्राथमिक प्राप्तिपत्र के रूप में कार्य करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रत्येक प्राप्तिपत्र का नाम (प्रत्येक सर्वे से तीन नाम) | लागू नहीं |
| 14. | (क) संबंधित प्रश्न तथा (ख) प्राथमिक प्राप्तिपत्रों का विवरण उपलब्ध है | वेबलिनक: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads/निरिक पता: लागू नहीं |

प्रप्र ए सार्वजनिक उद्योगों का विचार प्रस्ताव [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियम, 2016 के निनियम 6 के अंतर्गत] सार्वजनिक उद्योगों के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------|
| 2 | कार्पोरेट देनदारक के नियम की तिथि | 28 अगस्त, 2005 |
| हस्ता. /— | | |
| अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल के रूप में कार्यरत है | | |
| अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल के रूप में कार्यरत है | | |
| बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल का पता एवं ईमेल: | | |
| अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल के साथ पंचावर कि लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल | | |
| दावे जमा करने की अंतिम तिथि | | |
| क्रेडिटर का सर्वे यदि कोई हो, धारा 21 की प्रवृ धारा (एए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत अंतिम प्रस्ताव प्रफिलनल द्वारा सुनिश्चित किया गया | | |
| किसी सर्वे में क्रेडिटर के प्राथमिक प्राप्तिपत्र के रूप में कार्य करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रत्येक प्राप्तिपत्र का नाम (प्रत्येक सर्वे से तीन नाम) | | |
| (क) संबंधित प्रश्न तथा (ख) प्राथमिक प्राप्तिपत्रों का विवरण उपलब्ध है | | |

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण चंडीगढ़ पीठ के समक्ष, चंडीगढ़ कंपनी याचिका सीपी (सीएए) नंबर 28/सीएचडी/एचआरआई 2020 कंपनी आवेदन सीए (सीएए) नंबर 20 /सीएचडी /एचआरआई 2020 से सम्बंधित कंपनी अधिनियम, 2013 कोई भी साधिविक संशोधनों सहित या कुछ समय के लिए पुनः-अधिनियमनों को लागू करने, के मामलों में : **और**

कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समांगलन) नियमों, 2016 के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके लागू होने के कुछ समय के लिए पुनःअधिनियमन शामिल हैं, के मामले में : **और**

व्यवस्था की योजना के मामले में: **ग्रांड मैटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड** (सिन: U00331HR2005PTC086017) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा—121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 1 / आवेदक कंपनी नंबर 1 **और** **सुचुद्धी फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड** (सिन: U67120HR1992PLC087012) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा — 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 2 / आवेदक कंपनी नंबर 2 **और** **पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा — 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 3 / आवेदक कंपनी नंबर 3 **और****

संजीवनी गॉनफेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (सिन: U70109HR2006PTC086175) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा— 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 3 / आवेदक कंपनी नंबर 3 **और** **रामयणा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड** (सिन: U25517HR2006PTC085676) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा— 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 4 / आवेदक कंपनी नंबर 4 **और**

फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (सिन: U2229HR2006PTC085674) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा— 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 5 / आवेदक कंपनी नंबर 5 **और**

सैंचुरी मैटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड (सिन: U74899HR1994PLC086105) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B, फरीदाबाद हरियाणा — 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 6 / आवेदक कंपनी नंबर 6 **साथ**

ग्रांड मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिन: U00337HR2005PLC085675) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा—121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91—129—4223050 हस्तांतरिति कंपनी / आवेदक कंपनी नंबर 7

सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230–232 के साथ पढ़ित एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत, समूह कंपनियों ग्रांड मैटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुविधि फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, संजीवनी नॉनफेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, रामयणा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और संचुरी मैटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड का ग्रांड मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, 11 दिसंबर 2020 को संयुक्त याचिका पेश की गई थी जो 27 जनवरी 2021 को स्वीकार की गई थी तथा उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष **दुबवार, 31 मार्च, 2021 को सुबह 10:30 बजे** सुनवाई के लिए निर्धारित है।

यदि किसी व्यक्ति को कथित संयुक्त याचिका पर समर्थन या आपत्ति है तो वह अपने आशय अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं अपने अधिकाका द्वारा हस्ताक्षर करके याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ता के पास सुनवाई की तिथि से दो (2) कार्य दिवस पूर्व तक भेज सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध की पृष्ठभूमि या उसके हलफनामे की एक प्रति नीचे उल्लिखित पते पर अधोहस्ताक्षरी को अपने नोटिस के साथ या उपरोक्त संबंधित याचिकाकर्ता कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय पते पर जमा कि ऊपर निर्दिष्ट किये गए है, को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। **हस्ता./—**

पंकज जैन
याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता
वेदा लीगल, अधिवक्ता और सॉलिसिटर
208 – 3 / 3, मूल, सिडिकेट बैक के सामने, आदोला पार्क,
पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन के नजदीक, नई दिल्ली – 110017
मोबाइल – 8447778422

तिथि : 14 मार्च 2021
स्थान : नई दिल्ली
ईमेल आईडी – vedalegal@outlook.com | **मोबाइल – 8447778422**